संख्या- 272 /2024/2002/चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2024

विषय- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय व राज्य संग्रहालय, लखनऊ के उपयोगार्थ ई-टूरिस्ट वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-299/उ0प्र0सं0नि0-4(14)/2024-25, दिनांक 12 जुलाई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय व राज्य संग्रहालय, लखनऊ के उपयोगार्थ ई-टूरिस्ट वाहन क्रय किये जाने हेतु रू0 4,95,000/- (रूपये चार लाख पिच्चानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रस्तावित ई-टूरिस्ट वाहन का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
(3) संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत स्वीकृति उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।
(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य / मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य / मद हेतु किया जायेगा।
(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं सस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय -42- अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय व्ययक अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 272 /2024/2002/ चार-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।